तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 111/2024 बउनवान नारायणसिंह वगैरा बनाम अलसिंह वगै.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी– श्री नवनीत कुमार, आई. ए. एस.

–:आदेश:–

दिनांक 18.09.2025

उपस्थितिः–

1. अपीलांटगण की तरफ से वकील श्री कपीलदान।
2. रेस्पों. संख्या 1 व 2 की तरफ से वकील श्री वीरमाराम धारासर।
3. शेष रेस्पों. बावजूद सूचना अनुपस्थित।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेंटस को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांटगण ने बहस करतें हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट/प्रार्थीगण द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया था जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बहस सुनकर दिनांक 03.12.2024 को अपीलांट के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पारित किया जाना न्यायहित में आवश्यक था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आदेश पारित नहीं करते हुए अपीलांट/प्रार्थी की बहस को अस्वीकार करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो विधिक आदेश की श्रेणी में नहीं आता है। हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी पर वक्त सेटलमेंट से ही अपीलांट का कब्जा–काश्त लगातार चला आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आलोच्य आदेश दस्तावेजात पर गौर किये बिना जल्दबाजी में पारित किया गया जो विधि की दृष्टि से दूषित है। विप्रार्थीगण के द्वारा अपीलाधीन आदेश की आड़ में जबरदस्ती एवं ताकत के बल पर प्रार्थी/अपीलांट के कब्जा–काश्त की भूमि में दखलअंदाजी कर रहे हैं व वादग्रस्त आराजी को अपने नाम ज्यादा दर्ज होने का फायदा उठाते हुए किसी अजनबी क्रेता को बेचान करने पर आमादा हैं अगर रेस्पों. अपने उक्त मकसद में सफल रहे तो प्रार्थी के अपील का मकसद ही समाप्त हो जाएगा एवं प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी भविष्य में भरपाई की जानी संभव नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मूल पत्रावली में अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत आवेदन एवं संलग्न पेश दस्तावेजात के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन अपीलांटगण के पक्ष में है। मूल वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। अपीलांट को रेस्पोडेंटगण अपीलाधीन आराजी से जबरन बेदखल करने पर प्रयासरत हैं अतः अपीलांट्स की अपील स्वीकार फरमाई जाकर हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी के संबंध में इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि उत्तरदातागण अपीलांट्स के वर्तमान मौके पर भूमि में किसी भी प्रकार की दखलअंदाजी नहीं करें तथा वर्तमान राजस्व रेकर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाए रखें।

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

रेस्पोडेंटस अधिवक्ता ने अपील पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश अंतरिम आदेश है। अंतरिम आदेश के विरूद्ध अपील मेंटेनेवल ही नहीं है। दस्तावेजात सही है या नहीं यह दावे में तय होंगे। अपीलांट हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी का रिकार्डेड खातेदार नहीं है। रेकार्डेड खातेदार के विरूद्ध स्थगन आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। इस हेतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिक आदेश है जिसमें किसी प्रकार की वैधानिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। हाजा न्यायालय को तय यह करना है कि मौके एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखी जावे या नहीं विचारण न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश केस डिसाइडेड की श्रेणी में नहीं आता है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित इस प्रकार के आदेश से प्रार्थी किस प्रकार प्रतिकूल रूप से प्रभावित है यह अपील में कहीं भी स्पष्ट नहीं है। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन रेस्पोडेंटस के पक्ष में है। अतः अपीलांटगण की अपील को खारिज फरमाया जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनने एवं पत्रावली का गहनता से अवलोकन करने पर पाया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश प्रस्तुत दस्तावेजात एवं तथ्यों पर गौर किये बिना ही पारित किया गया है। अपीलांट हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी पर वक्त सेटलमेंट से ही काबिज–काश्त है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा खातेदारी घोषणा का वाद विचाराधीन है। जिसके विचारण में रहते हुए हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी को संरक्षित रखना हाजा न्यायालय की राय में उचित प्रतीत होता है। हस्तगत वादग्रस्त आराजी का हस्तातंरण व खुर्द–बुर्द करने के डर से एवं वादग्रस्त आराजी को संरक्षित रखने को ध्यान में रखते हुए खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है। प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांटगण की अपील स्वीकार करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांटस स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, गडरारोड़ द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 181/2014 बउनवान नारायणसिंह वगैरह बनाम अलसिंह वगैरह में पारित आदेश दिनांक 03.12.2024 को निरस्त किया जाकर हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी मौजा गिराब के खेत संख्या 606 व मौजा असाड़ी के खसरा संख्या 577, 224, 214, 319, 559 के भूमि की वर्तमान मौका एवं रेकर्ड की यथास्थिति बनाए रखने एवं हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी का बेचान व हस्तातंरण नहीं करने हेतु उत्तरदातागण को पाबंद किया जाता है। उक्तानुसार अज अदालत के आदेश दिनांक 18.12.2024 व दिनांक 24.12.2024 को मूल वाद के निस्तारण तक कंन्फर्म (पुष्ट) किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे। आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली उक्तानुसार फैसलशुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। बाद आवश्यक कार्यवाही हेतु दाखिल दफतर हो।

13/12/25

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर